सार-समाचार

मोतीलाल मीना का स्वागत किया

कोटा, (निसं)। श्री मीना समाज विकास समिति कोटा द्वारा मोतीलाल मीना को भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा उनको माला साफा पहनाकर मोमेन्टो प्रदान कर सम्मान स्वागत किया गया मोतीलाल मीना द्वारा अवगत कराया कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का अति-महत्व है। कोई भी व्यक्ति एवं समाज शिक्षा के बिना आगे नही बढ़ सकता मैं भी आज शिक्षा के बल पर इस मुकाम पर पहुच पाया हूँ। विगत वर्षों में मीना समाज द्वारा जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय निर्माण कर संचालित किया है। जो शिक्षा के क्षैत्र में मील का पत्थर साबित होगा, इसके निर्माण के समय मुझे भी इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें मैने स्वयं का योगदान प्रदान किया एवं अन्य लोगों से भी योगदान दिलवाया है मैं समाज को आष्वस्त करवाना चाहता हूँ कि मैं समय-समय पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहूंगा तथा जय मीनेष विश्वविद्यालय को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करूगा जिससे इसकी विश्वस्तरीय पहचान बन सकें इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष आर.डी.मीना, पूर्व जिला जज रमेश मीना, पूर्व जिला प्रमुख कमला मीना एवं भरत मारन, सीआई जगदीश मीना, हंसराज मीना, रामस्वरूप मीना, हेमराज मीना, मांगीलाल मीना, हरिप्रकाश मीना, बंशीलाल मीना, लक्ष्मीनारायण मीना, राधेश्याम मीना, जयपुर से हरिनारायण मीना, एन.आर. मीना, रामस्वरूप विनायका आदि समाजबंधु उपस्थित रहे।

'मंत्रीजी मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाइये'

कोटा, (निसं)। बाघ बचाओं बाघ बढ़ाओ अभियान के संयोजक कुन्दन चीता, हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण के संभागीय अध्यक्ष श्याम मनोहर हरित ने वन और पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार से मांग की है कि बहुत संघर्ष करने के बाद कोटा को टाईगर रिजर्व मिला था, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से यहां बाघ और उसके बच्चे अकाल मौत मारे गए उसके बाद वन विभाग मुकंदरा टाईगर रिजर्व में बाघो की संख्या को नहीं बढ़ा पा रहा है, कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों की तर्ज पर यहां भी एक साथ कई बाघ और बाघिन को छोड़ा जाए तो मुकन्दरा हिल टाईगर रिजर्व बाघों से आबाद हो सकता है, रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघो की संख्या ज्यादा होने के कारण उनका क्षेत्र कम पड़ने के कारण रोज बाघों की लड़ाई हो रही है जो बाघों की मौत का कारण बन रही है और इनमें से कई बाघ तो आदमखोर बन चुके है, इस कारण कई बाघ और बाघिन को मुकंदरा में छोड़ा जाना चाहिए। मुकंदरा टाइगर रिजर्व की उपेक्षा होने के कारण हाड़ौती के पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है, बाघ बचाओ बाघ बढ़ाओं अभियान के संयोजक कुन्दन चीता, हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण के संभागीय अध्यक्ष श्याम मनोहर हरित ने चेतावनी दी है की यदि मुकंदरा को बाघ और बाघिन का बड़ा परिवार नहीं मिलता है, तो कोटा में वन विभाग के अधिकारियों को चेन से नहीं बैठने दिया जाएगा, इन्होंने बताया कि पर्यावरण दिवस के पूर्व हाड़ौती की धारा पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में दम दिखाया

कोटा, (निसं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में एलबीएस स्कूल, कोटा ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्था का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर में हर्ष और गर्व का माहौल रहा। संस्था के चेयरमैन कुलदीप माथुर ने जानकारी दी कि विद्यालय के छात्रा याशिका ने 92.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं छात्र नितिन चौधरी ने 92 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान और इंशात मेघवाल ने 91.50 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुल 73 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की, जो विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है। विद्यालय के निदेशक सुदर्शन माथुर ने कहा कि यह शानदार परिणाम हमारे शिक्षण तंत्र की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की मेहनत और अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संस्था भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राचार्य रघुवीर प्रसाद नागर ने विद्यालय की सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को दिया। सुरेन्द्र नागर ने बताया कि परिणाम की घोषणा के पश्चात विद्यालय में मिठाइयाँ बाँटकर एक-दूसरे को बधाईयाँ और शुभकामनाएँ दी गई।

आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

कोटा, (निसं)। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल चौधरी ने अफीम तस्करी के आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर 1 कोटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन नम्बर 19039 अवध एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक शख्स को मय बैग डिटेन किया। शख्स से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश सिंह पुत्र रामसिंह निवासी गांव परीक्षा थाना माता वसैया जिला मुरैना मध्यप्रदेश का होना बताया। यात्रा बाबत पूछा तो चौहमेला से आना और सवाई माधोपुर जाना बताया। उसकी तलाशी ली तो अभियुक्त के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की। अफीम का शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ। जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त राकेश सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।

अधिवेशन आयोजित

छबड़ा (निसं)। राजस्थान धाकड़ महासभा के तत्वावधान में खानपुर में अधिवेशन आयोजित हुआ। जिसमें छबड़ा से बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने भाग लिया। यहां धाकड समाज के युवाओं में तेजी से पनप रही प्री-वेडिंग शूट प्रथा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का संकल्प पारित किया गया। जिसका समारोह में मौजूद बडी संख्या में समाजबंधुओ ने एक साथ हाथ उठाकर समर्थन किया। सेवानिवृत व्याख्याता शंकरलाल नागर ने चल रही कुप्रथा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धाकड समाज में भी अन्य समाजों की तरह धाकड़ युवाओं में भी आज हर शादी में यह कुप्रथा लोकप्रिय प्रथा बन गई है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन शादी से कुछ समय पहले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी तस्वीरें और वीडियो खिंचवाते हैं। फिर ये फोटो शादी के समय गैलरी में लगाए जाते हैं। कल्पना करें कि शादी हुई नही ओर युवा पहले ही मिलन कर रहे है, यदि किसी कारणवश रिश्ता, रिश्ता नही रहें तो लड़की और परिवार के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

पुण्यतिथि पर सेवा कार्य किए

बूंदी (निसं)। चार दशक तक हाडौती के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित ब्रज सुंदर शर्मा की 30वीं पुण्यतिथि पर आज राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उनके परिजनों ने मरीज को फल, जूस वितरित किया। गर्मी में राहत के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रभाकर विजय को दो कूलर भेंट किए। इस दौरान स्वर्गीय ब्रज सुंदर शर्मा की पुत्रवधू राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, समृद्ध शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विजयंत आमेरा, नगर परिषद उपसभापति लटूर भाई, पूर्व सभापति हिना अगवान, समाजसेवी रोशन लाल भड़कतिया, पार्षद रोहित बैरागी, आनंदी लाल मीणा, रविंद्र चतुर्वेदी, एडवोकेट गोपाल गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे।

प्रियांशु ने 96.83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए

छबड़ा (निसं)। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का दसवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा ने बताया कि दसवीं बोर्ड परीक्षा में 73 बालकों में से 61 भैया प्रथम श्रेणी, 12 भैया द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रियांशु केलवा ने 96.83 अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। शौर्य शर्मा ने 93.67, दिवेश मालव ने 93.67, हर्षित नागर ने 93.50, विनीत कुमार मीणा ने 91.83, अनुपम मीणा ने 90.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

कोटा विकास प्राधिकरण का 1650 करोड़ रूपये का बजट पारित

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की चतुर्थ बैठक बुधवार को संभागीय आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में केडीए सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कोटा के इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 1650 करोड़ रूपये का बजट पारित किया गया। साथ ही, दो नई आवासीय योजनाएं भी लॉन्च की गई।

कोटा विकास प्राधिकरण की बैठक में नन्दग्राम एवं रस्टिक फार्म योजना लॉन्च की गई है।

■ **दो नई आवासीय योजनाएं लॉन्च**

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंड में नियत समयावधि में निर्माण नहीं करने से खाली प्लॉट में जल भराव होता है और किसी तरह की जनहानि एवं मौसमी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा जल भराव वाले प्लॉट चिन्हित किए जाएंगे एवं वहां मिट्टी भराई के खर्च की वसूली पट्टाधारक से की जाएगी। मिट्टी भराई का खर्च एवं समयावधि में निर्माण नहीं करने पर निर्माण शास्ति की वसूली की जाएगी। साथ ही, खाली प्लॉट में जल भराव के कारण किसी प्रकार की जनहानि होने पर संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन भूखंड आवंटियों ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है उनके खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आवंटन शर्तों के अनुसार लम्बे समय तक निर्माण नहीं होने एवं आवंटन की शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार भूखंड निरस्त किए जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

कार्य गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच होगी-बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया जाएगा। इसके लिए आईआईटी एवं प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

नन्दग्राम एवं रस्टिक फार्म योजना लॉन्च-इस अवसर पर कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा दो नई आवासीय योजनाएं भी लॉन्च की गई। इसमें "नन्दग्राम" योजना एयरपोर्ट रोड पर बड़गांव के पास लॉन्च की गई है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंह को प्रोत्साहित करने के लिए ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के 46 भूखंड एवं एमआईजी श्रेणी के 19 भूखंड उपलब्ध होंगे। इस योजना में पार्क, फेसिलिटी एवं फुटकर दुकानें भी प्रस्तावित की गई हैं। यह योजना 36 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है जो बड़गांव को बूंदी रोड से जोड़ती है।

केडीए की दूसरी योजना "रस्टिक फार्म" बल्लोप, बूंदी रोड़ पर होगी। इसमें 18 फार्म हाउस एवं एक क्लब हाऊस प्रस्तावित है। फार्म हाऊस का क्षेत्रफल 1500 से 3000 वर्ग मीटर होगा। बैठक में जिला कलेक्टर बूंदी अक्षय गोदारा, केडीए आयुक्त ऋषभ मंडल, केडीए सचिव कुशल कोठारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी मालविका त्यागी, निदेशक वित्त नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति से 150 ग्राम अवैध मेफैड्रोन बरामद

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के अपने सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान के जयपुर सेल के अधिकारियों ने स्टेशन रोड, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति को रोका, जिससे 150 ग्राम अवैध एम.डी. (मेफैड्रोन) बरामद किया गया तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्यवाही नरेश बुन्देल, उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राज.) के मार्गदर्शन में की गई। उन्होने बताया की सीबीएन को एक विशेष सूचना मिली की एक व्यक्ति जयपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्टेशन रोड पर आपूर्ति के लिए अवैध एम.डी. (मेफैड्रोन) ले जा रहा है। उन्होने बताया की इस कार्यवाही के लिए (सी.बी.एन.) जयपुर के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और 27 मई 2025 को उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम को रवाना किया गया। टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को जयपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्टेशन रोड पर रोका गया और उसके सामान की तथा व्यक्तिगत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके स्पोर्ट्स शूज के इनसोल के नीचे दो पॉलीथीन बैग में छिपाकर रखा हुआ 150 ग्राम वजन का अवैध एम.डी. (मेफैड्रोन) बरामद किया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बरामद अवैध एम.डी. (मेफैड्रोन) को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटा, राजस्थान

483/27-05-2025 CM 56/2025

श्रीमती ममता रूनवाल आयु-60 वर्ष पत्नी श्री प्रदीप रूनवाल, निवासी- एफएच-185, स्कीम नम्बर- 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) - 452010

-- प्रार्थीया

-- बनाम --

1. हुकुमचन्द लोढा आयु- 89 वर्ष पुत्र श्री चांदमल लोढा निवासी- मकान नं.- 301, बजाजखाना, रामपुरा, कोटा (राज.)- 324006
2. अंजना लोढा आयु- 55 वर्ष पत्नी स्व. श्री कमल कुमार लोढा निवासी मकान नं.-301, बजाजखाना, रामपुरा, कोटा (राज.)-324006
3. रिजू लोढा आयु- 22 वर्ष पुत्री स्व. कमल कुमार लोढा निवासी- मकान नम्बर- 301, बजाजखाना, रामपुरा, कोटा (राज.)- 324006
4. सर्वसाधारण

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम बाबत् जारी किये जाने प्रोबेट

:: जनरल नोटिस ::

हर आम व खास को सूचना दी जाती है न्यायालय हाजा में प्रार्थीया ममता रूनवाल ने उपरोक्त शीर्षक का प्रोबेट आवेदन पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीया को स्व. कमल कुमार ने ग्राम बिल्लौराखुर्द प.ह.नं.-2 तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ के भाग की, ग्राम पंचायत बिल्लौराबुजुर्ग में स्थित खसरा नम्बर- 43/2 रक्बा 1.70 हैक्टेयर में से पश्चिमी की 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर- 112/1 रक्बा 0.45 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर- 112 /2 रक्बा 0.6 हैक्टेयर में से पश्चिम की 0.55 हैक्टेयर कुल किता-3 रक्बा 2.00 हैक्टेयर आराजी के बाबतु दिनांक-12.08.2008 को प्रार्थीया के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था, कमल कुमार का दिनांक- 29.04.2022 को देहान्त हो गया है। प्रार्थीया कमल कुमार की वसीयत के आधार पर न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में प्रोबेट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः हर खासो आम को सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रोबेट जारी किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति व उज्र ऐतराज हो तो वह व्यक्ति दिनांक- 01-08-2025 को समय प्रातः 10.30 बजे पर न्यायालय हाजा में असालतानया वकालतन रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश करें, अन्यथा आवेदन स्वीकार कर प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेंगा।

यह सूचना पत्र न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23-05-2025 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

कोटा — जिला न्यायाधीश, जिला कोटा

शालिनी गौतम को पुनः महिला कांग्रेस कोटा शहर की जिलाध्यक्ष नियुक्त किया

कोटा, (निसं)। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा जारी की गई नवनियुक्त कार्यकारिणी सूची में शालिनी गौतम को पुनः महिला कांग्रेस कोटा शहर की जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आभार व्यक्त करते हुए गौतम ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अल्का लांबा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव राखी गौतम एवं राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह का विशेष आभार प्रकट किया।

शालिनी गौतम

इस मौके पर शालिनी गौतम ने कहा कि मैं सभी शीर्ष नेताओं की आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। यह न केवल मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि संगठन के प्रति मेरी जवाबदेही को भी और बढ़ाता है। संघठन ने मुझे आज तक जो भी दायित्व सौंपा, उसे मैंने पूरी निष्ठा, समर्पण और लगन से निभाया है। मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि आने वाले समय में भी मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा, उसे मैं पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगी।

इससे पूर्व उन्हें 20 अक्टूबर 2023 को पहली बार इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक दृढ़ता और निरंतर सक्रियता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर उन्हें यह दायित्व सौंपा है। इस अवसर पर सैकड़ों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेसजन उनके स्वनिवास पहुंचे और ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया।

सभी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके आगामी कार्यकाल की सफलताओं की कामना की। इस अवसर पर नवदुर्गा महिला मण्डल व कामनापूर्ण गणेश महिला मण्डल द्वारा महावीर नगर विस्तार योजना स्थित कामनापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर माला व साँफा पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया, इस मौके पर कमलेश कुमारी, लाड़ कंवर गोचर, डॉ.गुरिंदर कौर अंबालवी, अंजना गौतम, आशा, विद्यावती, लता वनवानी, संतोष देवी, शीला गौतम, संगीता संतवानी आदि महिला कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रही। यूथ कांग्रेस के प्रदेश कॉ-ऑर्डिनेटर आशीष गुर्जर द्वारा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तथा पूज्य सिंधी समाज कोटा दक्षिण के अध्यक्ष निरंजन मेघानी द्वारा माला पहनाकर एवं सॉफा बांधकर स्वागत किया गया। शालिनी गौतम वर्तमान में नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 65 की पार्षद भी हैं। वे लंबे समय से समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण एवं संगठन निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं।

वीसी के जरिए बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुआ

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को कोटा से वीसी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया। बोर्ड की माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा 2025 के साथ-साथ प्रवेशिका परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम भी बुधवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा परिणाम 93.60 प्रतिशत रहा जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण, विद्यालय में अनुशासन और नवाचारों के कारण परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। उन्होंने उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं, जो विद्यार्थी अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए उन्हें संदेश दिया कि वे हताश न हों बल्कि मेहनत के साथ तैयारी करते हुए अगले वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि माध्यमिक व माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10 लाख 94 हजार 186 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जिसमें से 10 लाख 71 हजार 460 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यवसायिक परीक्षा का परिणाम 93.60 प्रतिशत रहा जिसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.16 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.08 रहा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/100987 **लोक सूचना** दि.28.05.2025

श्रीमती GURVINDER KAUR BHULLAR पत्नी श्री NAIB SINGH BHULLAR जाति SIKH निवासी BHULLAR FARM, NEAR ARYAN COLLEGE, KAITHOON ROAD SUKHPURA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	SMT. GURVINDER KAUR W/O SH NAIB SINGH CASTE- JATSIKH SA. DADABADI KOTA KHATEDAR	123/16	10000	1
				कुल	1

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/05/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम इरफान अन्सारी से बदलकर नया नाम इरफान अली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-इरफान अली पुत्र मोहम्मद हनीफ अन्सारी अनिल फोटो स्टूडियो की गली दहीखेड़ा झालावाड़

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम अनुश्री गुप्ता से बदलकर नया नाम अनुश्री बनर्जी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-अनुश्री बनर्जी पत्नी राहुल गौड़ सी 507 स्काई पार्क सनप्राईम पोरवाल भवन के सामने सुभाष नगर इन्द्रपुरा कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/ विक्रय/2025/71 दिनांकः-28.05.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम-ई आवासीय भूखंड संख्या 117 का आवंटन पत्र क्रमांक 314 दिनांक 12.08.2004 को श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता के नाम आवंटन किया गया था। श्री संजय खण्डेलवाल की मृत्यु दिनांक 05.04.2012 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयती गवाहों के शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती अल्का खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री संजय खण्डेलवाल द्वारा उक्त भूखंड संख्या 117 श्रीनाथपुरम-ई आवासीय अपने नाम नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 117 योजना श्रीनाथपुरम-ई का नाम हस्तांतरण श्रीमती अल्का खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री संजय खण्डेलवाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/ विक्रय/2025/72 दिनांकः-28.05.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना बसंत विहार केशवपुरा-9 आवासीय आवास संख्या 1638 का आवंटन पत्र क्रमांक 736 दिनांक 18.04.1985 को श्रीमती गुलाब बाई पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती गुलाब बाई की मृत्यु दिनांक 18.05.2005 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्रीमती गुलाब बाई पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री राम किशन शर्मा पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ द्वारा उक्त आवास संख्या 1638 बसंत विहार केशवपुरा-9 आवासीय अपने नाम नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 1638 योजना बसंत विहार केशवपुरा-9 का नामहस्तांतरण श्री राम किशन शर्मा पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/340 **विज्ञप्ति** दिनांकः-28.05.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी योजना "हिम्मत नगर" खसरा नं. 99 में स्थित भूखंड संख्या सी-83 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री मोहन लाल पुत्र श्री लखीराम दुसेजा निवासी मकान नं. 2-यू-6 महावीर नगर तृतीय कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का नाम हस्तांतरण क्रमांक UIT-KOTA/FY 22-23/MUT/1709 दिनांक 01.11.2022 को श्रीमती कीर्ति नागर पत्नी श्री मुकुल नागर के पक्ष में जारी किया गया था। नाम हस्तांतरी द्वारा उक्त भूखंड का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्रीमती दीप्ति जैन पत्नी श्री आदेश जैन द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2024 से श्री मोहन लाल पुत्र श्री लखीराम दुसेजा को कर दिया गया है।

अतः श्री मोहन लाल पुत्र श्री लखीराम दुसेजा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से बेहतर रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई

कोटा, (निसं)। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रगति को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरपोर्ट की सड़क एवं रेल नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर उद्योग जगत, कोचिंग संस्थानों, पर्यटन, व्यापार, रेलवे, होटल इंडस्ट्रीज, एसएसआई एसोसिएशन, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, एनएचएआई, पीएचईडी सहित विभिन्न संस्थानों एवं विभागों के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) मुकेश चौधरी ने की। जीएम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया सुनील प्रसाद ने बताया कि 440.086 हैक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए तकनीकी निविदा आमंत्रित कर ली